

# पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

**PUNJAB & SIND BANK**  
(A Government of India Undertaking)

प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग,  
प्रथम तल, बैंक हाऊस,  
21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली- 110 008

HO Accounts Department (Shares Cell),  
“Bank House”, 1<sup>st</sup> Floor,  
21, Rajendra Place, New Delhi-110008

Phone: 25782926, 25812922, 25728930, 25817353 Fax: 25781639, 25728919 email: [complianceofficer@psb.org.in](mailto:complianceofficer@psb.org.in)

सी.ओ. परिसंचारी पत्र संख्या/CO. CIR. LETTER NO. : 10/2019 अप्रैल 03, 2019 /April 03, 2019  
विभाग की कूट संख्या/Code no. of the Department : H-9001  
परिसंचारी पत्र के पृष्ठों की संख्या/Number of pages of Circular : 1

संदर्भ: पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरों का भेदियों द्वारा व्यापार के नियंत्रण, निगरानी तथा सूचना देने की आचार संहिता की शर्तों के अधीन सौदा केंद्र का बंद रहना ।

**Reg: Closing of Trading Window in terms of Punjab & Sind Bank Code of Conduct to Regulate, Monitor and Reporting Trading by Insiders**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरों का भेदियों द्वारा व्यापार के नियंत्रण, निगरानी तथा सूचना देने की आचार संहिता की शर्तों को निदेशक मंडल ने अनुमोदित किया है और बैंक की इंटरनेट वेब साईट पर उपलब्ध कराया गया है/Punjab & Sind Bank Code of Conduct to Regulate, Monitor and Reporting Trading by Insiders has been approved by the Board and placed on Bank's Intranet Website.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरों का भेदियों द्वारा व्यापार के नियंत्रण, निगरानी तथा सूचना देने की आचार संहिता की शर्तों जोकि बोर्ड द्वारा सेबी (आंतरिक व्यापार की रोक) अधिनियम, 2015 की शर्तों के अनुरूप अनुमोदित है, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही एक सौदा केंद्र है यदि बंद नहीं है, खुली है और बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध रहती है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी विशेष व्यक्ति जिसमें उसकी/उसके आश्रित सम्मिलित हैं, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरों का भेदियों द्वारा व्यापार के नियंत्रण, निगरानी तथा सूचना देने की आचार संहिता की शर्तों के परिच्छेद 6.1 की शर्तों के अनुसार जब सौदा केंद्र बंद है, बैंक के शेयरों की लेन-देन नहीं कर सकता है/Each quarter of the Financial Year is a trading window when it is open unless the window is closed and hosted on Bank's Website, as per Punjab & Sind Bank Code of Conduct to Regulate, Monitor and Reporting Trading by Insiders approved by the Board in terms of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. It is to reiterate that no designated person including his/her dependents can trade in Bank's shares when the trading window is closed in terms of **Para 6.1 of Punjab & Sind Bank Code of Conduct to Regulate, Monitor and Reporting Trading by Insiders**.

तदुपरान्त, निम्न का भी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का निषेध) (संशोधन) अधिनियम, 2018 प्रावधान करता है: “प्रत्येक तिमाही के अंत से वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद ट्रेडिंग प्रतिबंध अवधि को 48 घंटों तक लागू किया जा सकता है।” उक्त के दृष्टिकोण से, सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष/तिमाही हेतु (तिमाही - 4) के वित्तीय परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद 48 घंटों तक सौदा केंद्र बंद रहेंगे। Further Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 also provide the following: “Trading restriction period can be made applicable from the end of every quarter till 48 hours after the declaration of financial results.”

In view of above, it is to inform all concerned that the Trading Window shall remain closed effective immediately till 48 hours after declaration of Financial Results for the quarter (Q4) /Year ended 31.03.2019.

यह एक संवेदनशील विषय है और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु नोट किया जाए/This is a sensitive issue and the instructions be noted for strict compliance.

[हरविन्द्र सचदेव /Harvinder Sachdev]

महाप्रबंधक एवं भेदिया ट्रेडिंग निषेध हेतु अनुपालन अधिकारी

**General Manager and Compliance Officer  
for Prohibition of Insider Trading**